कार्यालय, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी
अम्बिकापुर जिला – सरगुजा(छ.ग.)

क्रमांक/3184 /भण्डार/2019 अम्बिकापुर दिनांक 30/05/19

निविदा विज्ञप्ति

वर्ष 2019–20 के लिए अधोहस्ताक्षरकर्ता द्वारा **औषधि, सर्जिकल उपकरण,रसायन** एवं **प्रयोगशाला सामाग्री** क्रय हेतु प्रतिष्ठित निर्माताओं एवं उनके अधिकृत विक्रेताओं से, जिनके पास ड्रग लाईसेंस/टिन नम्बर/सेल टैक्स नम्बर एवं जीएसटी नम्बर हो, से मोहर बंद निविदा **स्पेसिफिकेशन** के साथ अमंत्रित की जाती है। निविदा प्रपत्र/शर्तें एवं अन्य जानकारी कार्यालयीन समय में किसी भी कार्य दिवस में 1000 रूपये भुगतान कर प्राप्त की जा सकती है। **निविदा प्रपत्र की बिक्री 04.06.2019 से 11.06.2019 समय 03 बजे शायं** तक एवं **निविदा जमा** करने की अन्तिम तिथि **20.06.2019** समय 03 बजे शाम तक होगी। **निविदा खोलने की तिथि 22.06.2019 समय 05 बजे शाम** ।

1.निविदा फार्म बिक्री की तिथि – 04.06.2019 से 11.06.2019 शाम 03 बजे तक
2.निविदा फार्म जमा करने की अंतिम तिथि – 20.06.2019 शाम 03 बजे तक
3.निविदा खुलनें की तिथि – 22.06.2019 शाम 05 बजे तक

नोटः– **निविदा खोलने कि तिथि एवं समय में परिवर्तन किया जा सकता है।**

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी
अम्बिकापुर, सरगुजा (छ. ग.)

कार्यालय, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी
अम्बिकापुर जिला – सरगुजा(छ.ग.)

क्रमांक/3134/स्टोर/2019 अम्बिकापुर दिनांक 30/05/19

<u>नियम एवं शर्तें</u>

कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वा. अधिकारी अम्बिकापुर द्वारा वर्ष 2019–20 के लिए औषधि ,सर्जिकल उपकरण,रसायन एवं प्रयोगशाला सामाग्री क्रय हेतु प्रतिष्ठित निर्माताओं, उनके अधिकृत विक्रेताओं एवं सप्लायर से मुहर बन्द निविदा **<u>स्पेसिफिकेशन</u>** के साथ आमंत्रित की जाती है। निविदा की नियम एवं शर्तें निम्नानुसार होगी –

1. निर्माणकर्ता केवल उन्ही औषधि /सर्जिकल उपकरण सामाग्री की दर देवें जिसका वे निर्माण करते हैं। **औषधि निविदा जेनेरिक नाम से भरी जावे एवं जेनेरिक औषधि ही प्रदाय की जावे जनरल नहीं, तथा निर्माता फर्म के नाम का उल्लेख करें।**

2. सभी निविदादाता को 50/– रूपये के स्टाम्प पेपर पर यह इकरारनामा नोटरी से अभिप्रमाणित कराकर प्रस्तुत करना होगा कि **निविदा में मेरे द्वारा भरी गई दर मैनें पूरे होशो–हवास में भरा है, निविदा में रेट बिगाडने के लिए नहीं भरा है। और उसी दर पर मैं सप्लाई के लिए बाध्य हूँ। साथ ही साथ अगर मैं उस दर पर सप्लाई नहीं कर पाता हूँ तो मेरी अमानत राशि को राजसात कर लिया जावे एवं मुझे ब्लैक लिस्टेड किया जाये। साथ ही अगले 3 (तीन) वर्षो की निविदा प्रक्रिया से मुझे वंचित कर दिया जावे। विभाग द्वारा किए गये इस प्रक्रिया में मुझे कोई आपत्ति नहीं होगी।**

3. निर्माता कम्पनी/सप्लायर/अधिकृत विक्रेता का **वार्षिक क्रय विक्रय (Turn Over) *<u>01 करोड</u>* रूपये का** होना चाहिए। (विक्रय प्रमाण पत्र **(Turn Over)** विक्रय कर अधिकारी अथवा चार्टड एकाउन्टेट द्वारा प्रदत्त होना अनिवार्य है)

4. आई.एस.ओ./डब्लू.एच.ओ./सेड्यूल–एम.जी.एम.पी./आई.एस.आई. निर्माणकर्ताओं को प्राथमिकता दी जावेगी। प्रमाण पत्रों की सत्यापित छायाप्रति प्रस्तुत करें।

5. औषधि/सर्जिकल उपकरण/प्रयोगशाला रसायन एवं उपकरण की निविदा अलग–अलग शील बन्द लिफाफे में रहेगी।

6. औषधि, सर्जिकल उपकरण, प्रयोगशाला रसायन एवं उपकरण सामाग्री **सभी के लिए** अलग–अलग अमानत राशि 50,000 , (पचास हजार रूपये मात्र) की राशि बैंक ड्राफ्ट के रूप में निर्धारित है।

7. निविदा संबंधी अन्य दस्तावेज अलग से एक लिफाफे में रहेगी जैसे बिक्रीकर चुकता प्रमाण पत्र/ड्रग लायसेंस/आई.एस.ओ./डब्लू.एच.ओ./जी.एम.पी./आई.एस.आई. का प्रमाण पत्र/अमानत राशि का बैंक

ड्रफ्ट/**तीन वर्ष का इन्कम टैक्स रिटर्न फाइल सी.ए. द्वारा सत्यापित** जीएसटी नम्बर एवं आवश्यक प्रमाण पत्र सत्यापित प्रति संलग्न करना अनिवार्य है।

8.. प्रत्येक औषधि की **गुणवत्ता/पैकिंग** संबंधी जानकारी अवसान तिथि अंकित हो तथा अवसान की तिथि प्रदाय दिनांक से दो वर्ष बाद की होना चाहिए।

9. सामाग्री कार्यालय भण्डार में पहुँचा कर देना होगा, जिस पर अन्य प्रकार का गाडी भाड़ा (फ्रेट पेड) देय नहीं होगा। ट्रान्सपोर्टिंग के दौरान टूट फूट लिकेज तथा कमी की सम्पूर्ण जवाबदारी प्रदायकर्ता की होगी।

10. अंकित दर पर अम्बिकापुर में प्रदाय होना चाहिए।

11. छत्तीसगढ़ शासन की क्रय नीति के अनुसार प्रदाय की जाने वाली औषधि के नमूने की जाँच पर आने वाला व्यय प्रदायकर्ता को वहन करना होगा तथा औषधि प्रदाय हेतु आदेश जारी होने पर औषधि के साथ ही औषधि गुणवत्ता परीक्षण रिर्पोट प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा, परिक्षण रिपोर्ट के आभाव में औषधियाँ स्वीकार्य नही की जावेगी।

12. औषधि/सर्जिकल उपकरण / प्रयोगशाला रसायन एवं उपकरण सामाग्री जाँच में निम्न स्तर पाये जाने पर स्वयं के व्यय पर वापस ले जाना होगा, इसके लिए किसी भी प्रकार का अभ्यावेदन स्वीकार नही होगा।

13. क्रय आवश्यकता अनुसार प्राप्त आबंटन के आधार पर किए जायेगें किसी भी प्रकार की बाध्यता स्वीकार नहीं होगा।

14. बिना कारण बताये किसी भी निविदा को निरस्त करने का अधिकार अधोहस्ताक्षरकर्ता का होगा, इस संबंध में किसी भी प्रकार का अभ्यावेदन स्वीकार नही किया जावेगा।

15. निविदा की दरें अगली निविदा आमंत्रित करने तक के लिए मान्य होगी।

16. निविदा प्रपत्र तथा सूची दिनांक **04.06.2019** शाम 03 बजे से कार्यालयीन समय में 1,000 (एक हजार रूपये) रूपए जमा करने पर प्राप्त की जा सकती।

17. निविदा दिनांक 20.06.2019 को सांय काल 03 बजे तक स्वीकार की जावेगी।

18. आदेशित सामाग्री प्रदाय आदेश में दिए गए समयावधि के अन्दर पूर्ति करना होगा अन्यथा आदेश स्वयमेव निरस्त माना जावेगा। आदेश होने पर नमूना मॉंगने पर नमूना देना होगा।

19. आपात स्थिति में किसी भी दर पर किसी से भी औषधियां/उपकरण/प्रयोगशाला रसायन क्रय की जा सकेगी।इस संबंध में किसी भी प्रकार का अभ्यावेदन स्वीकार नहीं होगा।

20. निविदा कर्ता निविदा भरते समय प्रदाय की गई सूची अनुक्रम में ही अपना न्यूनतम दर दें।

21. प्रदाय आदेश जारी होने पर सामाग्री की आपूर्ति निर्धारित समय में करना अनिवार्य है। आपूर्ति न होने की स्थिति में अन्य को पूर्ति आदेश देने पर मूल्य अन्तर की राशि प्रथम प्रदायकर्ता से वसूल की जावेगी। राशि न देने पर अमानत की राशि राजसात कर दी जावेगी।

22. निविदा रजिस्टर्ड /स्पीड पोस्ट/अधिकृत कोरियर द्वारा ही प्राप्त की जावेगी।

23. संचालनालय चिकित्सा शिक्षा एवं संचालनालय स्वा. सेवायें द्वारा वर्ष 2019–20 हेतु दर अनुबंध किए जाने की स्थिति में उनके न्यूनतम दर को भी मान्य कर उन्ही न्यूनतम दर वाले फर्म को भी क्रय आदेश प्रदाय किया जा सकता है। इस संबंध में किसी भी प्रकार की बाध्यता स्वीकार नही होगी, एवं कोई भी अभ्यावेदन स्वीकार नहीं किया जावेगा।

24. निविदा दिनांक **22.06.2019** को शायं 05 बजे खोली जावेगी। निविदाकर्ता निविदा खोलते समय उपस्थित रह सकते हैं। निविदाकर्ता कि अनुपस्थिति में भी क्रय समिति के सामने निर्धारित तिथि को निविदा खोल दी जावेगी।

25. नियम शर्तों के अनुसार निविदा के दस्तावेज पूर्ण हों, अपूर्ण होने पर तुलनात्मक सारणी में सम्मिलित नहीं किया जावेगा।

26. **निविदा कर्ता फर्म, निविदा प्रपत्र लेने के साथ निविदा की साफ्ट कापी पेन ड्राइव द्वारा भी ले जावें।**

27. **निविदा दर हस्तलिखित स्वीकार नहीं किए जावेगें,कम्प्यूटर जनित होना चाहिए। साथ ही साथ निविदा प्रपत्र की साफ्ट कापी (सी.डी.) भी जमा की जावे।**

28. **सप्लायर फर्म द्वारा देयक तीन प्रति में भुगतान हेतु कम्प्यूटरीकृत जमा करना होगा, हस्तलिखित देयक किसी भी हालत में स्वीकार नहीं होगा।**

29. निविदाए खोली जानें के बाद निविदाकार को लिपिकीय अथवा मुद्रलेखकीय त्रृटि के लिए सुधारने का अवसर नहीं दिया जाएगा।

30. अगर निर्माता/सप्लायर सूची के अतिरिक्त अन्य औषधियों/उपकरणो का उत्पादन या सप्लाई करते हैं तो उसकी दर भी दे सकते हैं।

संलग्नः– औषधि/सर्जिकल उपकरण/प्रयोगशाला रसायन एवं उपकरण सामाग्री की सूची।

मुख्य चिकित्सा एवं स्वा. अधिकारी
अम्बिकापुर जिला–सरगुजा (छ.ग.)